



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2086)

Name of Candidate	KPARIKSHIT		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	683437
Center	MN	Date	19. Aug. 2023

INDEX TABLE			INSTRUCTIONS	
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained	1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code). उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)। 2. There are TWENTY questions printed in HINDI & ENGLISH. इसमें बीस प्रश्न हैं हिन्दी और अंग्रेजी में छपे हैं। 3. All questions are compulsory. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it. प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। 5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। 6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए। 7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off. उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।	
1	10			
2	10			
3	10			
4	10			
5	10			
6	10			
7	10			
8	10			
9	10			
10	10			
11	15			
12	15			
13	15			
14	15			
15	15			
16	15			
17	15			
18	15			
19	15			
20	15			
Total Marks Obtained:				
Remarks:				

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp. Punjab & Sind Bank), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है?

Do you agree with the view that there is a need to enact a new law for ensuring judicial accountability in India? (Answer in 150 words) 10

न्यायिक जवाबदेही से तात्पर्य न्यायाधीशों को उनके द्वारा दिए गए कृत्यों या दिए गए निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराना है।

• न्यायाधीशों पर
महाभियोग
(अनु. 124, 217)

न्यायिक जवाबदेही
हेतु वर्तमान प्रावधान

→ अधीनस्थ
न्यायालय के
न्यायाधीशों पर
कार्यवाही

उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों का स्थानांतरण

★ न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता क्यों?

- ① महाभियोग की वर्तमान प्रक्रिया काफी लंबी है तथा केवल 2 आधार (पद का दुरुपयोग, सिद्ध कदाचार) के पर ही लायी जा सकती है।
- ② न्यायिक अति सक्रियता को रोकने के लिए जवाबदेही बढ़ाना जरूरी।

③ न्यायपालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए

④ 'जन विश्वास' बढाने के लिए

नया कानून बनाने के फायदे

① इससे न्यायपालिका में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

② 'न्यायपालिका' के प्रति जन विश्वास बढेगा।

③ न्यायिक दस्तावेज (जैसे ~~बुद्धि~~ सेविधानसंशोधन को रद्द करना) को रोकने में मदद मिलेगी।

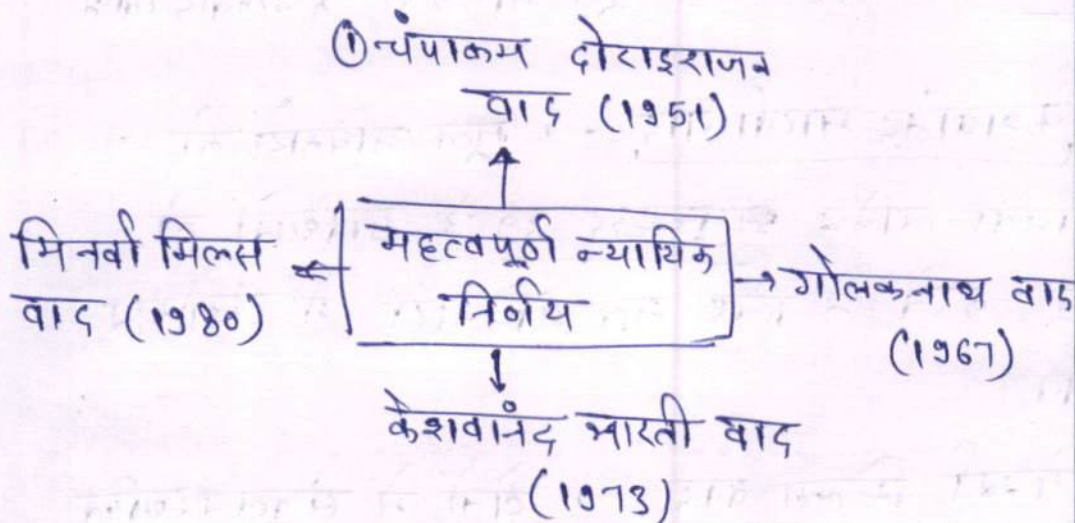
④ महाभियोग प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा सकेगा।

इस तरह न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करके न्यायपालिका का लोकतांत्रिक किया जा सकेगा।

2. भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) में संवैधानिक रूप से सामंजस्य स्थापित करना एक कठिन कार्य रहा है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से चर्चा कीजिए।

Constitutionally reconciling Fundamental Rights with the Directive Principles of State Policy (DPSPs) has been a tough task since the inception of the Indian Constitution. Discuss with the help of relevant case laws. (Answer in 150 words) 10

मूल अधिकारों के माध्यम से देश में राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया गया तथा ये वाद योग्य हैं, जबकि DPSPs के माध्यम से सामाजिक लोकतंत्र, लेकिन ये वाद योग्य नहीं हैं। अतः संविधान लागू होने के बाद से ही इनमें टकराव बनी रही है।



मूल अधिकार व DPSPs में आपसी सामंजस्य का प्रयास →

① चंपाकम दोराइराजन वाद (1951) → इस वाद में

सर्वोच्च न्यायालय ने OPSP पर मूल अधिकारों की वरीयता की लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन संभव है।

② गोलकनाथ वाद (1967) → इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती।

• इसमें विरोध में सरकार द्वारा 24वां व 25वां संविधान संशोधन किया गया। तथा अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से मूल अधिकारों के अपवाद घोषित

③ केशवानंद भारती वाद → मूल अधिकारों की वरीयता लेकिन अनुच्छेद 39 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन संभव।

④ मिर्बा मिल्ल वाद → दोनों में संतुलन स्थापित 'इन्हें गाड़ी के 2 पहियों के समान माना।

अतः वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हेतु इनमें सामंजस्य जरूरी है।

3. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भारत में नीति-निर्माण को आकार देने में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए।

Discuss the functions performed by the Prime Minister's Office (PMO) and its role in shaping policy-making in India. (Answer in 150 words) 10

संसदीय कार्य नियमों में प्रधानमंत्री कार्यालय का उल्लेख किया गया है। यह प्रधानमंत्री के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।

PMO द्वारा किए जाने वाले कार्य,

① इस कार्यालय का मुख्य कार्य देश के प्रधानमंत्री को माँगे जाने पर सलाह देना है।

② विभिन्न नीतियों/कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करना → इसमें 'PRAGATI' जैसे एप्स का सहारा लिया जाता है।

③ विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना।

④ आपात स्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना (महत्वपूर्ण फैसले लेना)।

≡ नीति निर्माण को आकार देने में PMO की भूमिका

- ① यह महत्वपूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार है।
- ② नीतियों के निर्माण हेतु विभिन्न मंत्रालयों को दृष्टव्य सलाह देने का कार्य।
- ③ नीतियों के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना।
- ④ नीतियों की निगरानी के माध्यम से उनकी सफलता सुनिश्चित करना।

इस तरह वर्तमान में PMO देश का सबसे मजबूत / तबतबद कार्यालय है।

4. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने और उन पर पुनर्विचार करने के लिए नागरिक स्वतंत्रताओं एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

Re-examination and reconsideration of the provisions of Section 124A of the Indian Penal Code (IPC) requires striking a balance between concerns of civil liberties and human rights, and maintaining and protecting the sovereignty and integrity of India. Comment. (Answer in 150 words) 10

IPC की धारा 124A में राजद्रोह संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। विधि आयोग ने इसे कुछ संशोधनों के साथ जारी रखने का सुझाव दिया है।

राजद्रोह कानून से संबंधित चिंतन

① यह नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।

② दोषसिद्धि की दर अत्यंत न्यून → 2018 में इस कानून के तहत केवल 3% मामलों में ही दोष तय।

③ दुरुपयोग की संभावना → सरकार को इसमें विवेकाधिकार व कुछ प्रावधानों की स्पष्ट व्याख्या नहीं।

⑤ यह सरकार की आलोचना करने की शक्ति को सीमित करता है।

■ राजद्रोह कानून की आवश्यकता क्यों ?

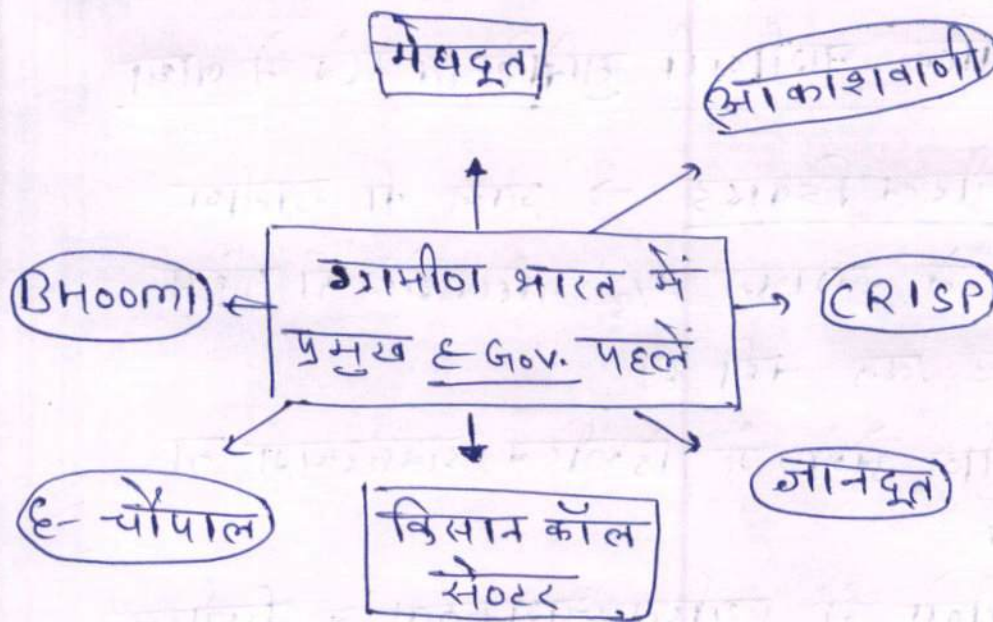
- ① देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना → यह विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ कुत्सित उद्देश्यों को रोकने के लिए जरूरी है।
- ② सरकार को स्थिरता प्रदान करता है।
- ③ अराजकता को रोकने के लिए जरूरी।
- ④ देश की एकता व अखंडता सुनिश्चित करता है।

इस तरह IPC में शामिल
संशोधन हेतु लार गार बिल में इस कानून
के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित
प्रबंधन तथा दोषसिद्धि हेतु को बहाल करने
की आवश्यकता है।

5. "ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस पहलों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।" टिप्पणी कीजिए।

"Citizen participation is key to the success of e-governance initiatives in rural India." Comment. (Answer in 150 words) 10

ई-गवर्नेंस से तात्पर्य व शासन प्रक्रिया में डिजिटल तकनीकों को अपनाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 70% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे अतः उनका सशक्तिकरण आवश्यक है।



नागरिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण

- ① नागरिक भागीदारी से नागरिकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

- ② ई-गवर्नेंस पहलों में पारदर्शिता बढ़ेगी
- ③ पहलों के संबंध में 'फीडबैक' तंत्र को मजबूत किया जा लेगा।
- ④ प्रशासकों की जवाबदेही बढ़ी जा सकेगी।
- ⑤ योजनाओं के प्रभावों को नागरिक केन्द्रित बनाने में मदद मिलेगी।

नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने में बाधा

- ① डिजिटल डिवाइड → आज भी ग्रामीण भारत में लगभग $\frac{2}{3}$ महिलाओं की पहुँच इंटरनेट तक नहीं है।
- ② ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसरों का अभाव।
- ③ ग्रामीणों में पर्याप्त जागरूकता व डिजिटल साक्षरता का अभाव।

अतः देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर E-governance के माध्यम से प्रशासन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

6. आपके अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपनी शुरुआत के बाद से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना सफल रहा है?

How far do you think the Aspirational District Programme has been able to achieve its objectives since its inception? (Answer in 150 words) 10

देश के सबसे अधिक पिछड़े 112 जिलों का विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों (वित्तीय समावेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) में प्रदर्शन सुधारने के उद्देश्य से 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन

(A) सकारात्मक पहलु

① वित्तीय समावेशन → जन-धन स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन से वित्तीय समावेशन बढ़कर 30 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

② शिक्षा → आकांक्षी जिलों में नामांकन अनुपात बढ़कर माध्यमिक शिक्षा में 81% हो गया है हालांकि लर्निंग आउटकम में सुधार नहीं। (प्रथम N40 की रिपोर्ट)

③ स्वच्छ जल तक पहुँच → हर घर नल से जल कार्यक्रम से 'टैप वाटर' की पहुँच वाले घरों की संख्या बढ़ी है।

④ नकारात्मक पहलू,

① NFHS-4 की तुलना में NFHS-5 के अनुसार इन जिलों में 'स्ट्रेटिंग' व 'वेस्टिंग' के मामलों में लगभग 5% तक की वृद्धि हुई है।

② शिक्षा → लर्निंग आउटकम में वृद्धि रही जबकि ड्रापआउट अनुपात में कोरोना के कारण वृद्धि।

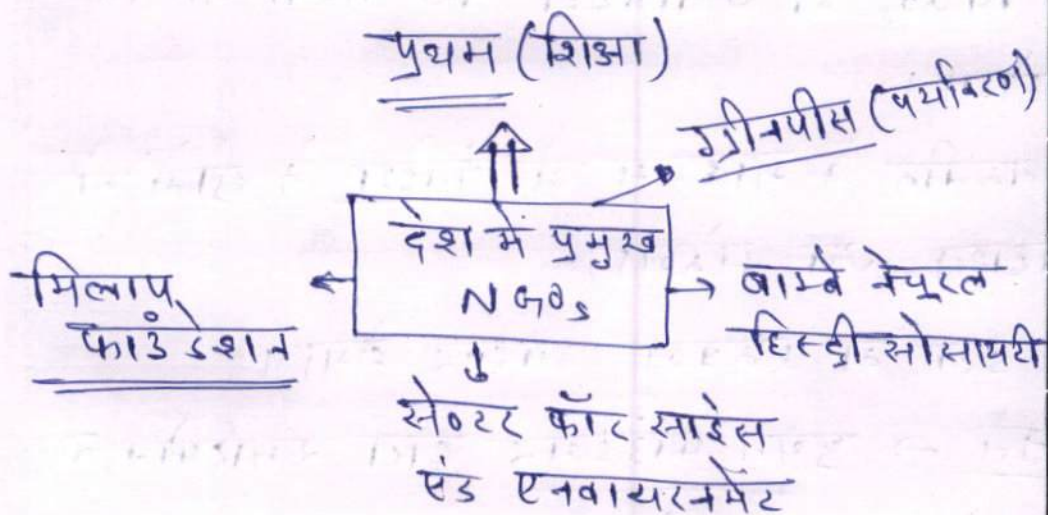
③ कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के मामले में सुधार नहीं।

हालाँकि कार्यक्रम की सफलता ने सरकार को 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' लागू करने के लिए प्रेरित किया है। यह सततप्रेषणीय तथ्यों की प्रामाणिकता है।

7. NGO क्षेत्र को आगे बढ़ाने और लाभार्थियों के लिए आउटकम्स को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

Technology has a crucial role to play in advancing the NGO sector and improving outcomes for beneficiaries. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

NGO से तात्पर्य सामाजिक क्षेत्र की जाति है।
नागरिक समाज का एक भाग माना जाता है। यह
महत्वपूर्ण 'दवाब समूह' तथा 'परिवर्तनकारी
एजेंट' के रूप में कार्य करते हैं।



प्रौद्योगिकी की भूमिका (NGO क्षेत्र को आगे बढ़ाने व आउटकम्स सुधारने में)

- ① प्रौद्योगिकी के माध्यम से NGO क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ायी जा सकती है → इसमें ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का योगदान महत्वपूर्ण होगा।

② जनता तक पहुँच बढाने के लिए → मिलाप
फाउंडेशन द्वारा क्रौड फंडिंग हेतु सोशल
मीडिया का इस्तेमाल।

③ इससे कीडबैक तंत्र को मजबूत करने NGo
की दक्षता बढाने में मदद मिलेगी।

④ NGo की जवाबदेही तय करना आसान
होगा।

⑤ तकनीक के माध्यम से फंडिंग के स्रोतों को
बढाया जा सकेगा।

⑥ डेटा का एक्त्रण आसान होगा।

जैसे → प्रथम फाउंडेशन द्वारा स्मार्टफोन व
टेबलेट का उपयोग।

इस तरह सशक्त नागरिक
समाज लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही
तय करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

8. तकनीकी और उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों के भारत में प्रवेश से जुड़े निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

Discuss the implications associated with the entry of foreign educational institutions for technical and higher education in India. (Answer in 150 words) 10

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हालिया निर्णय के बाद शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में टॉप - 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपनी ब्रांच खोल सकेंगे।

विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश से फायदा

- ① हमारे देश से 'प्रतिभा पलायन' को रोक जा सके (प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्र विदेशों में शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं।)
- ② देश के शिक्षण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी साथ ही 'बेस्ट प्रैक्टिस' को देश में अपनाया जा सकेगा।
- ③ प्रतिवर्ष लगभग 25-30 बिलियन \$ की भारतीय मुद्रा को विदेशों में जाने से रोक जा सकेगा।
- ④ देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

★ चिंताएं / नकारात्मक पक्ष

- ① विदेशी शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस स्वयं तय की जायेगी → अतः रमजोर वर्ग की पहुँच से बाहर शिक्षा (साम ही इनमें भारत का प्राधान्य भी नहीं होगा)
- ② शिक्षा के व्यावसायीकरण से बढावा मिलेगा
- ③ ~~यह~~ इससे देश में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त मूलभूत चिंताओं का हल नहीं हो सकेगा।
- ④ केवल टॉप-500 संस्थानों की ही अनुमति।

हालाँकि इससे देश में नवाचार की संस्कृति जन्मने की संभावना है लेकिन आवश्यकता भारतीय संस्थानों को ही मजबूत बनाने की है ताकि 504-4 को 2030 तक प्राप्त किया जा सके।

9. भारत और लैटिन अमेरिका के देशों के बीच फलता-फूलता संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। परीक्षण कीजिए।

The flourishing relationship between India and countries of Latin America has become a critical element of India's foreign policy. Examine. (Answer in 150 words) 10

लैटिन अमेरिका में मध्य अमेरिकी, पश्चिम अमेरिकी व कैरेबियन देशों को शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र भारतीय विदेशी नीति में महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

भारत के लिए लैटिन अमेरिकी देशों का महत्व

① आपसी व्यापार → 2022 में व्यापार बढ़कर पहली बार 45 बिलियन \$ के पार।

② महत्वपूर्ण खनिज → लिथियम ड्रायगल देश, चिली में तांबे का उत्पादन अतः अभिव्य के खनिजों हेतु महत्वपूर्ण।

③ ऊर्जा सुरक्षा → वेनेजुएला में पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डार, साथ ही Biofuel के संबंध में ब्राजील की तकनीकों से सीखा जा सकता है।

④ कैरीबियन समुदाय के साथ सांस्कृतिक रिश्ते → भारतीय मूल के लोगों के लिए

आकर्षण का केन्द्र।

⑤ भारतीय निवेश → विदेश खनिज इंडिया लिमिटेड ने माध्यम से लिचियम ड्रॉमगल में खनिजों की खोज।

⑥ चीन के प्रभाव को प्रति सँतुलित करना → भारत की तुलना में लगभग 8 गुना व्यापार।

रिश्तों में चिंगा के बिंदू,

① मर्कोसुर के साथ 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' का नहीं होना।

② चीन की तुलना में अत्यंत सीमित व्यापार।

③ भाषागत बाधाएं (लैटिन अमेरिकी देशों में अंग्रेजी बोलने वालों की कमी)।

④ भौगोलिक दूरी (साथ ही आपसी संपर्क के न्यूनतम साधन)।

अतः भारत द्वारा एशिया-एशिया सहयोग को बढ़ावा देने व वैश्विक शक्ति के रूप में अपने उदय के लिए लैटिन अमेरिका से बेहतर संबंध जरूरी हैं।

10. ऋण-जाल कूटनीति क्या है? चीन की ऋण-जाल कूटनीति भारत के पड़ोस में भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करती है?

What is debt-trap diplomacy? How does China's debt-trap diplomacy impact India's interests in its neighbourhood? (Answer in 150 words) 10

ऋण जाल कूटनीति से तात्पर्य किसी देश को ऋण भार के तले दबाकर उसकी नीतियों को अपने हितों के अनुसार निर्धारित करना है।

उदा. → चीन द्वारा जिबूती व पाकिस्तान के लक्ष्य में

★ चीन की ऋण-जाल कूटनीति का प्रभाव,

① अस्थिर पड़ोस → श्रीलंका के विदेशी ऋण में लगभग 10% हिस्सा चीन का है, जिसकी वजह से 'उल्टे' हैंबनरोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए चीन को लीज पर दे दिया।

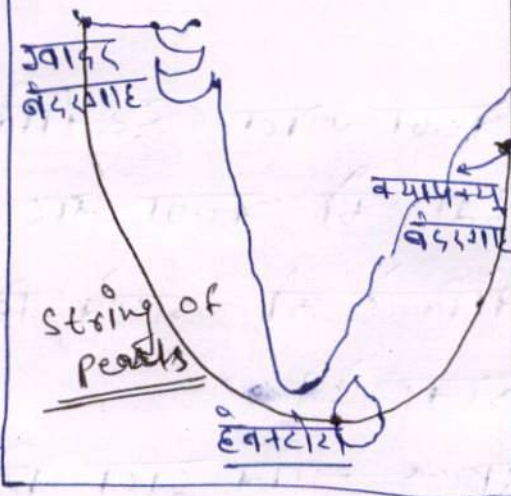
② भारत की स्वायत्ता के लिए खतरा → CPED का POK से होकर गुजरना।

③ चीन की 'stringency of people's' की नीति → इसके माध्यम से चीन भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है।

पाकिस्तान → ग्वादर पोर्ट

श्रीलंका → हंबन्टोटा

- ④ हिंद महासागर में भारत की निबल सुरक्षा प्रणाली की स्थिति के समझ खतरा → क्योंकि इससे चीन की हिंद महासागर में उपस्थिति बढ़ी है।



- ⑤ पूर्वोत्तर की सुरक्षा → अस्थिर पड़ोस से पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ व उग्रवाद बढ़ा है।

चीन की 'String of Pearls' की भारत ने 'नैकलेस ऑफ सायमंड' की नीति जबकि BR1 को एशिया-अफ्रीका ग्लोब कोरिडोर, एक त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी पहलों से प्रतिस्पर्धित करने का प्रयास किया है।

11. विश्व भर के विभिन्न संविधानों का मिश्रण होने के बावजूद भारतीय संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय, बहुलवाद और समानता को आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी कीजिए।

Despite being an amalgamation of various constitutions from across the world, the Indian Constitution imbibes social justice, pluralism, and equality through its various provisions. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़कर उनके प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर अपनाया।

भारतीय संविधान → विभिन्न स्रोतों का मिश्रण

- ① नीति निर्देशक तत्व → आयरलैंड के संविधान से।
- ② मूल कर्तव्य → USSR के संविधान से।
- ③ आपातकालीन प्रावधान → वाइमर गणराज्य (जर्मनी) के संविधान से।
- ④ संघीय ढांचा → ब्रिटिश संविधान।
- ⑤ राष्ट्रपति राष्ट्रपद → अमेरिकी संविधान।
- ⑥ स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व → फ्रांस के संविधान से।

इसके अलावा कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, जापान

व आस्ट्रेलिया के लंबिचानों से भी विभिन्न प्रावधान लिए गए।

① सामाजिक न्याय → सभी नागरिकों के साथ समान परिस्थितियों में बिना जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान पर गौर के समान व्यवहार।

* संविधान में प्रावधान

- ① उद्देशिका में 'सामाजिक न्याय' का उल्लेख
- ② मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का प्रावधान
- ③ अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता वही
- अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन
- ④ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान।

② बहुलवाद → लोकतंत्र में बहुलवाद से तात्पर्य सभी की अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता का होना है।

* संविधान में प्रावधान

- ① मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति

की स्वतंत्रता

② सार्वभौमिक व्यक्त भूतधिकार का
प्रावधान

③ समानता → बिना भेदभाव किए समान
के साथ समान व्यवहार करना ही समानता
है।

* संवैधानिक प्रावधान

① उद्देशिका में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता

② मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक
समानता का अधिकार।

③ नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक समानता
का अधिकार → 'समान कार्य के लिए समान
वेतन'

④ राजनैतिक समानता → सभी को चुनाव लड़ने
व मत देने का अधिकार दिया गया है।

इस तरह 'भारतीय संविधान'
लागू होने के 73 वर्ष बाद भी 'जीवंत
दस्तावेज' बना हुआ है।

12. हाल के कुछ घटनाक्रमों ने भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे को प्रकाश में लाया है। देश में वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों के लिए कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

Recent developments have brought to light the issue of criminalizing marital rape in India. Analyse the implications of ensuring legal protection for victims of marital rape in the country. (Answer in 250 words) 15

वैवाहिक बलात्कार से तात्पर्य विवाह के पश्चात अपने पति के साथ जबरदस्ती या उसकी इच्छा के बिना संबंध बनाना है।
IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत भारत में वैवाहिक बलात्कार से बलात्कार का अपवाद माना गया है।

★ हालिया घटनाक्रम

- ① कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश → इसने तहत वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के रूप में द्वाँट करने का आदेश दिया गया था।
- ② दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश → इसमें वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार मानने के संबंध में 'split decision' दिया गया था अतः इस संबंध में अभी तक

उचित स्पष्टीकरण का अभाव है।

★ वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों को कानूनी
संरक्षण की आवश्यकता →

- ① इससे पीड़ितों के 'गरिमापूर्ण जीवन जीने' के मूल अधिकार (अनुच्छेद 21) को संरक्षित किया जा सकेगा।
- ② विवाह किसी भी स्तर में 'बलात्कार' की अनुमति नहीं देता। बलात्कार को हर स्थिति में बलात्कार ही माना जाए (मानवीय गरिमा के अनुकूल)।
- ③ अपराधियों की सजा सुनिश्चित की जा सकेगी।
- ④ यह 'मानवाधिकारों' के अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अनुकूल होगा।

★ इस संबंध में चिंताएं

- ① वैवाहिक बलात्कार के पक्ष में सोझा जा पाना मुश्किल होगा।
- ② यह विवाह संस्था को कमजोर करेगा।

③ कानून के दुरुपयोग की लैभावना बढेगी
या इससे पार्टनर को ब्लैकमेल करने का
माध्यम बनाया जा सकता है।

④ संबंधों में तनाव बढेगा।

इस संबंध में संसद
द्वारा विमर्श के पश्चात कानून बनाने
की आवश्यकता है ताकि वैवाहिक बलात्कार
से पीड़ितों को न्याय प्राप्त किया जा
सके।

13. "संघवाद के भारतीय मॉडल की अत्यधिक केंद्रीकृत होने के कारण आलोचना की जाती है, लेकिन यह राज्यों को पर्याप्त अवसर और स्वायत्तता भी प्रदान करता है।" विश्लेषण कीजिए।

"The Indian model of federalism has been criticized for being too centralized, but it also provides adequate space and autonomy to the states." Analyse. (Answer in 250 words)

15

संघवाद ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केन्द्र सरकार व विभिन्न राज्य/स्थानीय सरकारों के मध्य शक्तियों को विभाजित किया जाता है।

जैसे → भारत तथा अमेरिका में।

* भारतीय मॉडल में केन्द्रीकृत, संबन्धी प्रावधान →

- ① संघ सूची में 31 विषयों के साथ सभी महत्वपूर्ण विषयों (वित्त, विदेशी मामले, सुरक्षा आदि) पर केन्द्र का नियंत्रण।
- ② राज्यपाल की नियुक्ति के माध्यम से राज्य सरकारों में हस्तक्षेप।
- ③ अनुच्छेद 243 के तहत राज्य सूची के मामलों पर विधान बनाने का अधिकार
- ④ आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352, 356 व 365 के तहत)
- ⑤ संविधान का लचीलापन, एकल नागरिकता,

अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र जैसे
प्रबंधन।

⑥ राज्य सूची के कुछ विषयों पर राष्ट्रपति
की अनुमति, संघर्ष सूची पर विधान बने
में केंद्र की करीयता आदि।

लेकिन भारतीय संविधान
में राज्यों की भी पर्याप्त अवसर व
स्वायत्तता दी गई है →

① सातवीं अनुसूची → इसके माध्यम से
विभिन्न विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में
तथा राज्य सूची के मामले में राज्य द्वारा
विधान।

② पाँचवीं व छठीं अनुसूची → अनुसूचित
क्षेत्र तथा स्वयंसेवक जनजातों के
मामलों में राज्यों की विशेष प्रावधान।

③ संविधान की संघीय प्रणाली से घुसघुस
वाले संशोधन पर राज्यों की अनुमति जरूरी।

④ संघर्ष सूची के मामले में कार्यपालिका

भूमिगत राज्य सरकार के पास।

- ⑤ अखिल भारतीय सेवाओं पर ताल्कालिक नियंत्रण राज्य सरकारों का।
- ⑥ अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी कौन्सिल जैसे सहकारी संघवाद को बढ़ावे के प्रावधान
- ⑦ वित्त आयोग के माध्यम से वित्त का हस्तांतरण।

इस तरह भारत में मजबूत संघ होने के बावजूद राज्यों को पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त की गई है हालांकि केन्द्र राज्य संबंधों में सरकारिया आयोग व पूछी आयोग की सिफारिशों पर अमल करने की जरूरत है।

14. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में नियुक्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय ने नियुक्ति प्रक्रिया को मूल रूप से बदल दिया है और इसके संभावित दूरगामी निहितार्थ भी हो सकते हैं। विवेचना कीजिए।

The recent judgment of the Supreme Court on appointments to the Election Commission of India (ECI) has fundamentally changed the appointment process and can have potentially far-reaching implications. Discuss. (Answer in 250 words)

15

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनूप वर्मा वाद में निर्णय सुनाते हुए ECI में नियुक्ति की प्रक्रिया को परिवर्तित करने का आदेश दिया है।

* वर्तमान प्रावधान → अनुच्छेद 324 के तहत 1951 के अधिनियम के अनुसार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जाते हैं उनमें से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा CEC या ECs को नियुक्त किया जाता है।

* SC के आदेश से परिवर्तन → 3 सदस्यीय नियुक्ति समिति बनाने का आदेश जिसमें निम्न व्यक्ति शामिल होंगे

- प्रधानमंत्री
- लोकसभा में विपक्ष के नेता

• भारत के मुख्य न्यायाधीश

✶ निर्णय के संभावित दूरगामी निहितार्थ

- ① इससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- ② नियुक्ति में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप कम होगा → फलतः चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- ③ इससे चुनाव आयोग की जन स्वीकार्यता बढ़ेगी।
- ④ चुनाव आयोग की जवाबदेही तय की जा सकेगी।
- ⑤ नियुक्ति प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

हालांकि SC के इस निर्णय को न्यायिक अतिव्यवस्था माना जा रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायाधीश के तहत इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार

सेंसर के पास हैं। (अनुच्छेद 324 के
तहत)

हालिया मानसून सत्र में राज्यसभा
में नया बिल पेश कर SC के निर्णय को
परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है।
जिसमें नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष
के नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त केबीजे
मंत्री शामिल होंगे।

इस तरह SC के निर्णय के
दूरगामी प्रभावों को समाप्त कर दिया गया
है लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया
में पारदर्शिता लागू वर्तमान की जरूरत
है।

15. वैश्विक बदलावों के साथ समेकन और अर्थव्यवस्था के खुलने के परिणामस्वरूप लोक सेवाओं के लिए विविध चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण कुशल सेवा वितरण के लिए उनमें समग्र सुधारों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

Integration with the global trends and opening up of the economy has resulted in diversified challenges for the civil services, which require holistic reforms for efficient service delivery. Discuss. (Answer in 250 words) 15

भारतीय आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवाओं को 'स्लीम फ्रेम ऑफ इंडिया' की संज्ञा दी थी तथा इसके बाद से देश के विकास में लोक सेवाओं का अविन्न योगदान रहा है।

वैश्विक बदलावों से लोक सेवाओं के समग्र चुनौतियां →

- ① नई तकनीकों के आगमन से विशेषज्ञता हेतु नए क्षेत्रों का उदय → लोक सेवाओं में बिग डेटा, ब्लॉकचेन, IoT जैसे नए क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता है।
- ② भूमिका परिवर्तन → विनियामक की भूमिका से 'सर्विस प्रोवाइडर' की भूमिका।
- ③ बढ़ते निजीकरण के चलते निजी क्षेत्र

की दक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा।

④ सुरक्षा चुनौतियों → पुलिस के समझ
साइबर हमले, IPR उल्लंघन जैसी नई
सुरक्षा चुनौतियों आ गई हैं।

⑤ बढ़ती तकनीक व डिजीटलाइजेशन से
लोक सेवकों पर निगरानी भी बढ़ी है अतः
'परफॉरमेंस प्रेशर' बढ़ा है।

II जुशल सेवा वितरण के लिए समग्र सुधार

① प्रशिक्षण के स्तर पर लोक सेवकों की
नई तकनीकों व नई भूमिकाओं में प्रशिक्षित
किया जाना चाहिए।

② मानसिकता परिवर्तन की जरूरत → ओपरेटिव
मानसिकता से बाहर निकलकर 'सेवा उदात्त'
के रूप में भूमिका निभाई जाए।

③ 'गै गैप' को स्पष्ट परिभाषित करके
loop holes को कम किया जाए ताकि

प्रबुद्धता में कमी लई जा सके।

(4) प्रशासन का डिजीटलाइजेशन पर जोर दिया जाए ताकि पारदर्शिता बढ़े।

(5) शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए।

(6) नागरिकों को सशक्त करके समावेशी लोक सेवा की बजाया दिया जाए।

इस तरह लोक सेवा में सुधार करके कल्याणकारी लोकतंत्र की मजबूत बगले में मदद मिलेगी।

16. भारत में ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में ओपन डेटा क्या भूमिका निभा सकता है? देश में ओपन डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में कौन-सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

What role can open data play in promoting transparency and accountability in e-governance in India? What are the challenges in ensuring the quality and reliability of open data in the country? (Answer in 250 words) 15

ओपन डेटा से तात्पर्य डेटा के ऐसे पूल से है जो सभी व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध हो तथा उस तक सभी की सुलभ पहुँच हो।

★ ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढ़ाने में ओपन डेटा की भूमिका →

① ओपन डेटा की नागरिकों तक सहज पहुँच से 'फीडबैक तंत्र' मजबूत होगा → इससे योजनाओं की दक्षता बढ़ेगी।

② 'यह' सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देगा।

③ नागरिकों का सहभागिता होगा, फलतः समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

- ④ इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी → फलतः पारदर्शिता व जवाबदेही बहेगी।
- ⑤ इससे प्रभावी व डेटा आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- ⑥ शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती मिलेगी।
- ★ ओपन डेटा की गुणवत्ता व विश्वसनीयता चुनिश्चित करने में चुनौतियाँ →
- ① राष्ट्रीय स्तर पर डेटा एन्क्रिप्शन हेतु मानकीकरण का अभाव।
- ② डेटा सुरक्षा हेतु 'राष्ट्रीय नीति' का अभाव (जैला की ए० द्वारा नीति निर्माण किया गया है।)
- ③ विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में 'Data Silos' बनने में कार्य करने की संव्यक्ति →

फलतः डेटा के आपसी साझाकरण का अभाव।

④ डेटा के विभिन्न स्रोत जैसे NFHS, PLFS आदि के आँकड़ों में विरोधाभास

सुझाव दिया जाए

① राष्ट्रीय स्तर पर डेटा प्रोटेक्शन बिल पारित किया जाए।

② डेटा एक्सीक्यूटिव व साझाकरण पुलिसिया का मानकीकरण किया जाए।

③ जनता को जागरूक बनाया जाए।

डेटा को भविष्य का ईंधन

माना जा रहा है अतः भारत में भी

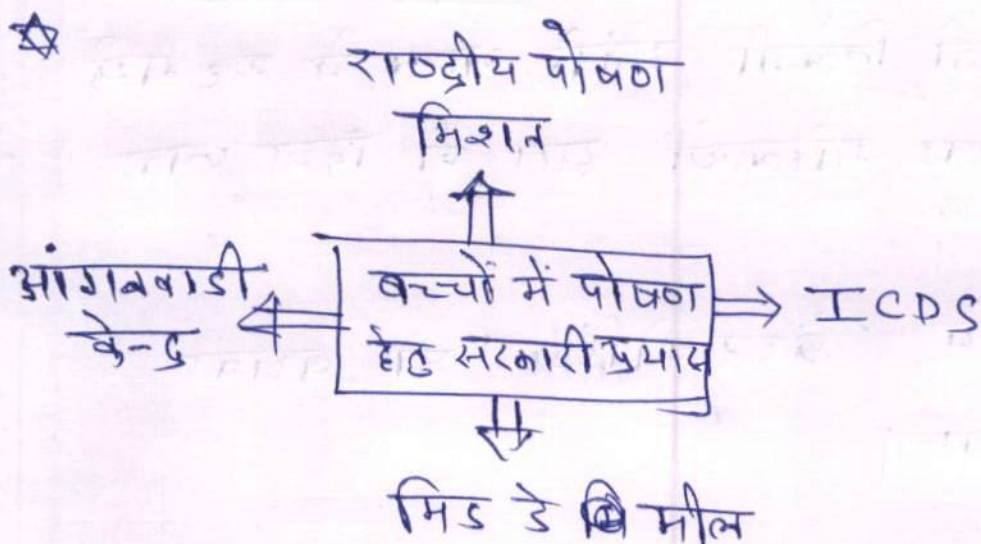
Big data जैसी तकनीकों में शोध की जरूरत है।

17. भारत में 'जीरो फूड' बच्चों की व्यापकता को कम करने के लिए मातृ पोषण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

To reduce the prevalence of 'zero food' children in India, maternal nutrition needs to be made a priority. Comment. (Answer in 250 words) 15

'जीरो फूड' बच्चे, बच्चों की वह श्रेणी है जिन्हें पिछले 24 घंटों में आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हुई है। यह बच्चों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण है।

NFHS-5 के मुताबिक भारत में लगभग 37% बच्चे स्टैंडिंग जबकि लगभग 21% बच्चे बेस्टैंडिंग का शिकार हैं जो कि NFHS-4 की तुलना में ज्यादा है।



जीरो फूड बच्चों की व्यापकता को कम करने हेतु मातृ पोषण को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों ?

- ① जन्म के समय से आरंभिक ८ माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है → अतः बच्चों के पोषण हेतु मातृ पोषण जरूरी।
- ② स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी अतः जन्म के समय कुपोषित बच्चों की संख्या को कम किया जा सकेगा।
- ③ इससे बच्चों की देखभाल प्रक्रिया को भजवूती मिलेगी क्योंकि भारत में यह कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।
- ④ इससे 'ब्रेस्टफीडिंग' को बढ़ावा मिलेगा।

इस दिशा में सरकारी उपास

- ① प्रधानमंत्री मातृ वेदना योजना
- ② सुरक्षित मातृत्व योजना
- ③ राष्ट्रीय पोषण अभियान
- ④ आंगनवाड़ी रे-डू
जाड़ि।

क्या किया जाए?

- ① महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि वे अपने पोषण आवश्यकताओं को पहचान सकें।
- ② Targeted नीति निर्माण → माँ बनने की उम्र वाली महिलाओं पर ज्यादा फोकस
- ③ विभिन्न योजनाओं में उचित सम्मेलन

इस तरह SDG-2, 3
तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्यों को
पूरा किया जा लगेगा।

18. हाल ही में, केंद्र सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी खाद्य सामग्रियों और दवाओं को सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। भारत में लोक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं क्या हैं? इनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है?

Recently, the Central government exempted all foods and drugs for rare diseases imported by people for personal use from customs duty. What are the concerns related to rare diseases as a public health issue in India? How can these be resolved? (Answer in 250 words) 15

दुर्लभ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
दुर्लभ रोगों से तात्पर्य ऐसे रोगों से
हैं जो प्रति 1000 की जनसंख्या पर
1 व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।

भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित चिंताएं

- ① दुर्लभ रोगों के उपचार का अत्यंत महंगा होना।
- ② लोगों में इन रोगों के संबंध में जागरूकता का अभाव।
- ③ इनके संबंध में उपयुक्त शोध तथा उपचार तकनीकों का अभाव।
- ④ दुर्लभ रोगों से संबंधित 'जेनिक डेटा' का अभाव → इससे

अनुसंधान प्रभावित होता है।

⑤ दुर्लभ रोगों की मानक परिभाषा
का अभाव।

⑥ विभिन्न स्वास्थ्य नीतियों में इन्हें
दरकिनार करना।

नियंत्रणों का समाधान

① दुर्लभ रोगों के लेबेच में अलग से
समग्र नीति बनाई जाए → इसकी
उचित परिभाषा दी जाए।

② दुर्लभ रोगों के लेबेच में शोध को
बढ़ावा दिया जाए।

③ विकसित देश जैसे सशुभत राज्य
अमेरिका, इटली, आदि देशों के साथ
सहयोग से उपचार तकनीकों को खोजा
जाए।

④ लोगों के संबंधों को इन्हें संबंधित

जागरूकता का प्रसार किया जाए
ताकि रोगों की शुरुआती चरण में
ही पहचान की जा सके।

⑤ स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाकर GDP
का 6% तक किया जाए।

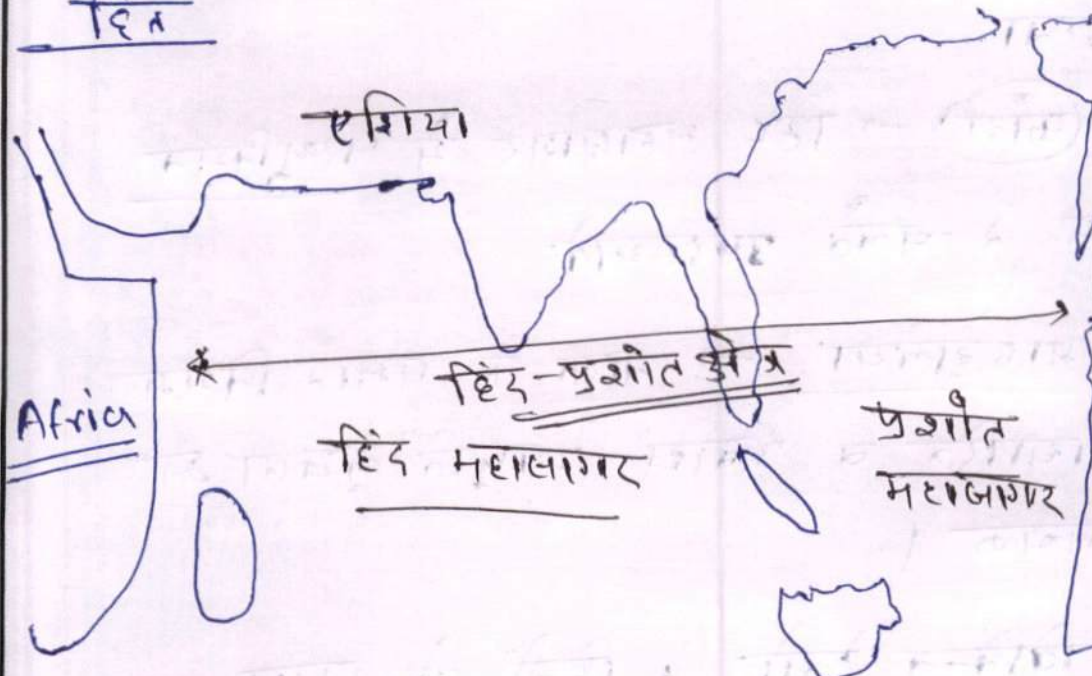
इस तरह भारत को
'सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज' की दिशा
में रुकम बढ़ाते हुए SDG-3 को
प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

19. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यथार्थवादी और प्रभावी सहयोग के लिए, इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न देशों के प्रमुख हितों को स्वीकार करने और उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

For realistic and effective collaborations to take place in the Indo-Pacific region, there is a need to acknowledge and recognize the underlining intention of the various countries with stakes in the region. Discuss. (Answer in 250 words) 15

हिंद-प्रशांत क्षेत्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर प्रशांत महासागर के पूर्वी तट तक विस्तृत है। हालांकि भू-राजनीति में विभिन्न देशों द्वारा इसकी भिन्न-2 परिभाषा दी गई है।

इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के प्रमुख हित



- ① संयुक्त राज्य अमेरिका → इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करना तथा वैश्विक महाशक्ति के रूप में महत्वाकांक्षा को पूरा करना।
- ② भारत → निष्पक्ष, पारदर्शी व निम्न आधारित नौगहन प्रणाली का समर्थन तथा हिन्द ~~प्रसाद~~ के महासागर में निराल सुरक्षा प्रदाता की भूमिका।
- ③ चीन → हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्वयं की स्थापित करना।
- ④ फ्रांस → हिन्द महासागर में रिपूत्रियन द्वीप के चलते उपस्थिति।
- ⑤ आस्ट्रेलिया → भारत के समान निम्न आधारित व अव्यय आपूर्ति शृंखला का समर्थन।

विभिन्न देशों के हितों में खराब

① अमेरिका स्पष्ट तौर पर चीन को

प्रतिलिखित करना चाहता हूँ।

② क्षेत्र की हितों के अनुसार विनियम - 2

व्याख्या जैले → फ़ॉल का फ़ोमल केरल
हिंद महासागर पर तो जापान का फ़ोमल
पश्चिम महासागर पर ज्यादा

③ चीन की आक्रामक उपस्थिति → UNCLOS
के अनुच्छेद 112 लेबंदी निर्णय को मानने
से इनकार

अतः इस क्षेत्र में स्थिरता
स्थापित करने के लिए जरूरी है कि
विभिन्न देश आपस में लाभ और
समझौते के माध्यम से नियमों को मान्यता
प्रदान कर सकें।

20. भारत और उसके पड़ोसियों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थल के रूप में स्थापित होने से पहले, भारत को अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए।

There is a need to address the underlying challenges, both internal and external, in the North-Eastern region of India before it can serve as a pivotal connecting space between India and its neighbours. Comment. (Answer in 250 words) 15

भारत अपनी एस्ट ईस्ट पॉलिसी, नैबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा BBIN व IML जैसी पहलों के माध्यम से अपने पड़ोसियों के मध्य महत्वपूर्ण संपर्क स्थल स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

★ पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्व

- ① आख्यान देशों के साथ संपर्क बिंदु के रूप में कार्य
- ② महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल
- ③ आर्थिक स्रोत → कुंड ऑयल, प्राकृतिक संसाधन (वन), कोयला आदि।
- ④ पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक व नृजातीय समानता

★ पूर्वोत्तर में आंतरिक चुनौतियाँ

- ① उग्रवाद का प्रसार → मणिपुर में विभिन्न समुदायों के बीच झड़प।
- ② नशे का बढ़ता प्रसार → गोल्डन ट्रॉयडल से निकलता
- ③ विकास का निम्न स्तर → दुर्गम क्षेत्र तथा सुशिक्षित अधिक
- ④ देश की मुख्य भूमि से कम संपर्क → केवल चिन, वेर के माध्यम से जुड़ाव

★ बाह्य चुनौतियाँ

- ① सीमापार धुलपैठ → ~~का~~ ब म्यांमार के साथ 'open Border एग्रीमेंट' के अवधान का misuse
- ② शरणार्थी → लगभग 100000 रोहिंग्या शरणार्थी
- ③ हथियार व अवैध पदार्थों की तस्करी

समाधान क्यों जरूरी?

- ① क्षेत्र में स्थिरता लाकर बिनास की बहावा देने के लिए।
- ② एक दृष्ट नीति के तहत असमान देशों में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए।
- ③ देश की अंतरिम सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए।
- ④ IMA, BBIN, कबादाम मज्जा बर्जेली पहलों की सफलता के लिए।

इस तरह भारत पूर्वीतरा का बिनास शर पड़ोसियों के साथ महत्वपूर्ण सेपक स्थल बन सकता है।